प्रेषक,

निदेशक,
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
बाढ प्रभावित जनपद बाराबंकी / लखीमपुर / सीतापुर / ललितपुर / गोण्डा / बांदा / फैजाबाद / रामपुर / बहराइच
बलरामपुर / बदायू / कुशीनगर / बस्ती / अम्बेडकर नगर / आजमगढ / महराजगंज / श्रवास्ती
सिद्वार्थनगर / गोरखपुर / पीलीभीत / हमीरपुर / चित्रकूट / इलाहाबाद / वाराणसी / बलिया।
गाजीपुर / मिर्जापुर / महोबा / चन्दौली एवं भदोही।

पत्रांक— / इपीडी0 / बाढ़—समीक्षा / 2016—17 दिनांक—

विषय— **आपके जनपद में आपदा(बाढ़) से पशु मृत्यु होने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रस्तुत संकलित सूचना दिनांक 21—09—2016 जो दिनांक 20—09—2016 के अनुसार जिलाधिकारी स्तर से निम्न प्रकार से जनपद के सापेक्ष पशु मृत्यु की सूचना दी गयी है।

कसं0	बाढ प्रभावित जनपद का नाम	पशु मृत्यु की संख्या
1	बराबंकी	—
2	लखीमपुर	3
3	सीतापुर	—
4	ललितपुर	11
5	गोण्डा	—
6	बाँदा	—
7	फैजाबाद	—
8	श्रामपुर	—
9	बहराइच	—
10	बलरामपुर	3
11	बदांयू	—
12	कुशीनगर	—
13	बस्ती	—
14	अम्बेडकर नगर	—
15	आजमगढ	—
16	महराजगंज	—
17	श्रावस्ती	—
18	सिद्वार्थ नगर	2
19	गोरखपुर	—
20	पीलीभीत	—
21	हमीरपुर	34
22	चित्रकूट	36
23	इलाहाबाद	128
24	वाराणसी	9
25	बलिया	53
26	गाजीपुर	2
27	मिर्जापुर	—
28	महोबा	56

29	चन्दौली	–
30	भदोही	–
कुल योग		337

उपरोक्त सूचना एवं आपके द्वारा दी गयी निदेशालय पशुपालन विभाग के कन्ट्रोल रूम दी गयी सूचना मे भिन्नता है। जो इस प्रकार है

क्रसं0	बाढ प्रभावित जनपद का नाम	पशु मृत्यु की संख्या
1	ललितपुर	9
2	बलरामपुर	0
3	सिद्वार्थ नगर	0
4	हमीरपुर	0
5	चित्रकूट	0
6	इलाहाबाद	100(छोटे पशु)
7	वाराणसी	11
8	बलिया	4
9	गाजीपुर	9
10	महोबा	0
11	सीतापुर	4
12	लखीमपुर	1
13	चन्दौली	13
योग		151

शेष जनपदों मे सूचना शून्य दिखायी गई है।

उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि दोनो सूचनाये एक समान नही है। आप की सूचना एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत सूचना मे असमानता का औचित्य तीन दिनों में प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही की जायेगी। यह भी स्पष्ट हो रहा है कि आप द्वारा राजस्व विभाग से समन्वय नही किया जा रहा है, नही तो जनपद की पशुधन से सम्बन्धित सूचना में भिन्नता नही परिलक्षित होती। जबकि समन्वय के लिये पूर्व में कई वार निर्देशित किया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि जनपद से आने वाली सूचनाओं यदि सही नही हो तो औचित्य के साथ उसका संशोधन भी करा दिया जाये एवं आपदा राहत राशि मिलने से पशुपालक वंचित न हो सके, ऐसी व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

पशुपालको के प्रति पूर्ण संवेदन शीलता का व्यवहार रखे एवं सहायता प्रदान करें।

भवदीय

(डा0ए0एन0सिंह)
निदेशक
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र।

पत्रांक– 386/इपीडी0/बाढ़–समीक्षा/2016–17 दिनांक– 23/9/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–मण्डलीय अपर निदेशक, झांसी, देवीपाटन (गोण्डा),बस्ती,चित्रकूट, इलाहाबाद,वाराणसी, आजमगढ, को प्रभावी अनुश्रवण के लिये।

2–श्री नीवन कुमार गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर, विभागीय बेसाइट पर अपलोड करने हेतु।

3–प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(डा0ए0एन0सिंह)
निदेशक
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र।